न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 24/2018

अपीलांट

1. भंवरसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क पेशा खेती
2. मनसिह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क पेशा खेती
3. गणपतसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क पेशा खेती
4. मूलसिंह पुत्र धरमसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क पेशा खेती
5. भगवतसिंह पुत्र धरमसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क पेशा खेती
6. अशोक कुंवर पुत्री धरमसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क पेशा गृहणी
7. चंपत कुंवर पुत्री धरमसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क पेशा गृहणी
8. सोमू कुंवर पत्नी धरमसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क पेशा गृहणी
9. भीकसिंह पुत्र शिवनाथसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क पेशा खेती
10. उमसिंह पुत्र शिवनाथसिह जाति राजपूत उम्र वयस्क पेशा खेती
11. सोबसिंह पुत्र शिवनाथसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क पेशा खेती सर्व निवासीयान भूतगांव तहसील व जिला सिरोही।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही जिला सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्र सिंह आढा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 06.05.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा मुकदमा संख्या 138/2017 में पारित निर्णय दिनांक 11.05.2018 को अपास्त कराने का निवेदन किया। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरूद्ध अपीलाट्स अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांटगण द्वारा मौजा भूतगांव के खाता संख्या 177 खसरा संख्या 184 रकबा 0.81 हैक्टर किस्म चाही–2 में से 2184 वर्गमीटर भूमि पर पक्के मकान निर्माण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

कर आवासीय रूपान्तरण करवाये बिना कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग करने के संबध में प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना जवाब साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील निर्णय पारित किया है। वादग्रस्त खसरा नंबर 184 के संबध में पूर्व में रेस्पोडेन्ट की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 19.12.2011 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो प्रकरण संख्या 144/2011 को दर्ज रजिस्टर होकर अपीलांट को नोटिस जारी किये गये। उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित था तथा दिनांक 26.05.2015 को राजस्व लोक अदालत मणोरा में उक्त पत्रावली प्रस्तुत की गई, जिस पर तहसीलदार सिरोही द्वारा यह सूचना दी गई कि मौका निरीक्षण किय गया भवन पुराने है, जमीन रहन है पत्रावली रूपांतरण हेतु पूर्व में पेश की गई थी रहन होने से पत्रावली निस्तारण नहीं हो पाई। अत विचाराधीन वाद चलने योग्य नहीं होने से विड्रो किया जाता है। उक्त नोट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट उक्त वादग्रस्त खसरा नंबर के संबध में प्रस्तुत प्रकरण खारिज किया था। उक्त निर्णय के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी अपील/रिवीजन प्रस्तुत नही की गई है। उक्त निर्णय दिनांक 26.05.2015 को हस्तगत प्रकरण में संयोजित पक्षकारान ही पक्षकारान थे। किन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त तथ्यो को छुपाते हुए अपीलांट के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जो कानूनन पोषणीय नही एवं रेसज्यूडीकेटा के सिद्धान्त से बाधित है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पूर्व मे रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रकरण के लगभग एक वर्ष पूर्व ही दिनांक 30.11.2010 को खसरा नंबर 184 में निर्मित मकानात की भूमि का नियमानुसार आवासीय रूपान्तरण करवाने हेतु उपखंड अधिकारी महोदय सिरोही के समक्ष दिनांक 30.11.2010 को प्रार्थना पत्र समस्त औपचारिकता पूर्ण कर प्रस्तुत कर दिया था, जो आदिनांक तक लंबित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यो को ध्यान में न रखते हुए अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरूद्ध अपीलाट्स अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांटगण द्वारा मौजा भूतगांव के खाता संख्या 177 खसरा संख्या 184 रकबा 0.81 हैक्टर किस्म चाही–2 में से 2184 वर्गमीटर भूमि पर पक्के मकान निर्माण कर आवासीय रूपान्तरण करवाये बिना कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग करने के संबध में प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त कृषि आराजी पर बिना बिना रूपातंरण करवाये गैर कृषि कार्य कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघंन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए मोका रिर्पोट के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया है जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

न्यायालय के समक्ष विरूद्ध अपीलाट्स अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांटगण द्वारा मौजा भूतगांव के खाता संख्या 177 खसरा संख्या 184 रकबा 0.81 हैक्टर किस्म चाही–2 में से 2184 वर्गमीटर भूमि पर पक्के मकान निर्माण कर आवासीय रूपान्तरण करवाये बिना कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग करने के संबध में प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 177 खसरा नंबर 814 रकबा 0.8100 हैक्टेयर में से 2184 वर्गमीटर पर गैर कृषि कार्य अपीलांटगण द्वारा करने के संबध में प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा पूर्व में उक्त वादग्रस्त खसरे के संबध में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 के सहायक कलक्टर सिरोही के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे "मौका निरीक्षण किया गया भवन पुराने है, जमीन रहन है पत्रावली रूपांतरण हेतु पूर्व में पेश की गई थी रहन होने से पत्रावली निस्तारण नहीं हो पाई।" अत विचाराधीन वाद चलने योग्य नहीं होने से विड्रो किया जाता है। का हवाला देते हुए रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद स्वंय द्वारा विड्रो किया गया था। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना से अपीलांटगण द्वारा एक वर्ष पूर्व ही दिनांक 30.11.2010 को खसरा नंबर 184 में निर्मित मकानात की भूमि का नियमानुसार आवासीय रूपान्तरण करवाने हेतु उपखंड अधिकारी महोदय सिरोही के समक्ष प्रार्थना पत्र समस्त औपचारिकता पूर्ण कर प्रस्तुत कर दिया था, जो आदिनांक तक लंबित है। उक्त खसरा के संबध में ग्राम पंचायत भूतगांव द्वारा अनापति प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। उक्त प्रार्थना पत्र के लंबित रहते इसी खसरान के संबध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नही होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा मुकदमा संख्या 138/2017 में पारित निर्णय दिनांक 11.05.2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 184 रकबा 0.81 हैक्टेयर भूमि के संबध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.11.2010 की बिन्दुवार जांच कर नियमानुसार शीघ्र निस्तारण करे। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 06.05.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही